न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:–49 / 2014 दायर दिनांक:–25.06.2014

जीसीएमएस नं. 2014 / 00349

भरतलाल उर्फ भरतु दत्तक पुत्र श्री रामरूप उम्र 34 साल जाति जाटव निवासी हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0।

––––––सायल

बनाम

1. रामाधार पुत्र खुशीराम उम्र 80 साल
2. रामेश्वर पुत्र खुशीराम उम्र 65 साल

} जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तह0 हिण्डौन सिटी राज0

––––––गैरसायलान–02

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री पी एल गोयल अधिवक्ता सायल
2. श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक:–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा न0 913 रकबा 30 ऐयर, 921 रकबा 29 ऐयर, 1571 रकबा 28 ऐयर, 1572 रकबा 33 ऐयर, 1660 रकबा 17 ऐयर, 1700 रकबा 14 ऐयर, 1701 रकबा 56 ऐयर, 1706 रकबा 30 ऐयर, 1708 रकबा 39 ऐयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.76 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है। जिसमें सायल हिस्सा 1/3 भाग व गैरसायल स0. 1 व 2 हिस्सा 2/3 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपने अपने हिस्से पर बुंजुर्गान के समय से काबिल काश्त करते चले आ रहे है।

सायल व गैरसायल स0 [illegible] बटवारा कर रखा है। और उसी के मुताबिक अपने अप[illegible] है। जिससे आये दिन डौल मैड पर झगडा होता [illegible] विधिवत बंटवारा [illegible] के लिये सायल ने गैरसायल न0 1 व 2 से कहा कि [illegible]सील हिण्डौन में [illegible] हम अपनी भूमि का विधिवत बंटवारा करवा लेते है। गैरसायल न0 1 व 2 एकदम नाराज हो गये और विधिवत बंटवारा के लिये मना कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:51 IST
Reason: SelfAttested

बाबत दिनांक 20.06.2014 का है सायल अपने साथ गांव के पंच पटेलान को साथ लेकर गैरसायल स0 1 व 2 के पास पुनः गये, और विधिवत बंटवारे के लिये कहा तो गैरसायल स0 1 लाल ताता हो गया कहा कि हमने तो उक्त भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र को लट्ठ वालों को बेचने की पक्की बात कर रखी है। और हम बेचकर ही रहेगें अगर गैरसायल अपने उक्त इरादे में कामयाब हो गये तो सायल के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडेगा।

गैरसायलान जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैसला मु कदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 913, 921, 1571, 1572, 1660, 1700, 1701, 1706, 1708 कुल किता 9 कुल रकबा 2.76 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ को रहन व्यय नहीं करे, खुर्द बुर्द नहीं करे। और ना ही नाकाबिल काश्त बनाये, और ना ही स्वयं ऐसा कोई कार्य करे और नाही अन्य से करावे जिससे सायल के हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से को श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं 04.10.2024 को जबाव पेश किया जो निम्नानुसार हैः—

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 में दावा पेश होना स्वीकार है। लेकिन सायल को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।
2. मद न0 2 प्राथना पत्र जिस प्रकार से बयान किया है गलत है और स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित आराजीयात का ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है परन्तु उक्त आराजीयात में सायल का 1/3 हिस्सा नहीं है और नाही उक्त आराजीयात के 1/3 भाग पर काबिज काश्त है और नाही कोई कब्जा काश्त किसी प्रकार से कभी रहा है। वादी/सायल विवादित आराजीयात के 1/3 भाग का रिकॉ[illegible]दार काश्तकार नहीं है। सायल ने राजस्व रिकॉर्ड कर्मचारियों से [illegible] हेरा फेरी करवाई है।
3. मद न0 3 प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। सायल का विवादित आराजीयात के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तो विधिवत बंटवारा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायल व गैरसायल न0 2 पिता पुत्र है कि जिन्होने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गैरसायल न0 1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:51 IST
Reason: SelfAttested

अज्ञानता व भोलेपन का फायदा उठाकर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करवायी है कि जिसके आधार पर कतई गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर यह मिलावटी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल रिजेक्शन है।

4. मद न0 4 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। सायल व गैरसायल न0 1 के मध्य दिनांक 20.06.2014 को या किसी भी दिन किसी भी समय इस मद में वर्णित कोई वार्तालाप किसी प्रकार का नहीं हुआ है और नाही सायल किन्ही पंच पटेलान को साथ लेकर गैरसायल के पास आया और नाही गैरसायल न0 1 ने अपनी किसी भूमि को किन्ही लट्ठ वाले व्यक्तियों को बेचने की बात कही है। अगर इस मद में वर्णित बात सही होती तो सायल किन्ही पंच पटेलान का नाम व भूमि को गैरसायल न0 1 द्वारा बेचने वाले व्यक्ति का नाम इस मद में बयान करता। सायल ने इस मद में समस्त कथन कतई गलत बनावटी महज दावा व प्रार्थना पत्र हाजा दायर करने के लिये बयान किये है जो गैरसायल न0 1 को स्वीकार नहीं है।
5. मद न0 5 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है।
6. मद न0 6 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है।
7. मद न0 7 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है।

सायल भरतलाल उर्फ भरतसिंह, रामरूप पुत्र खुशीराम जाट का विधिवत विधि अनुसार लिया गया दत्तक पुत्र नहीं है और नाही किसी गोद के बावत गिविंग एण्ड टेकिंग की कार्याही रश्मे हुई है। भरतलाल सायल के समस्त रिकॉर्ड अध्यन प्रमाण पत्र आदि में अपने नैसर्गिक पिता रामेश्वर का ही नाम दर्ज है। सायल की अल्पायु में ही शादी हो गयी थी कानूनन 15 वर्ष से अधिक आयु व शादीशुदा व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है। सायल व उसका पिता रामेश्वर ने गैरसायल न0 1 को तंग व परेशान करने व गैरसायल न0 1 व 2 के खास भाई रामरूप की चल व अचल सम्पति कृषि भूमियों को हडपने के लिये गोद की समस्त कार्यवाही फजी तरीके से की है। जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम सिविल न्यायालय में संस्थित कराई जा रही है। सायल व उसके पिता रामेश्वर ने रामरूप उसकी पत्नि चंदादेवी व उनकी पुत्री ... के भ्रष्ट राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रामरूप के नाम की खातेदारी की भूमि में सायल का नाम दर्ज करवाया है। सायल ने ग्राम हुक्मीखेडा पटवार हल्का विजयपुरा तहसील हिण्डौन के खाता संख्या 96, 279, 280, 43 में दर्ज भूमियों को सम्मिलित करते हुए चाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:51 IST
Reason: SelfAttested

गई दादरसी के लिये दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा दायर नहीं किया है। कानूनन पार्टली पार्टिशन के लिये दावा दायर नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजीयात के 1/3 भाग या किसी भाग पर सायल का कब्जा काश्त नहीं है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे

जबाव शामिल पत्रावली किया गया एवं गैरसायल न0 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2067—70 खाता संख्या 278, वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरोठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत जमाबंदी संवत 2067—70 खाता संख्या 278, वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ खातेदारी सायलान व गैरसायल के नाम दर्ज रिकार्ड है पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित आराजी 913, 921, 1571, 1572, 1660, 1700, 1701, 1706, 1708 कुल किता 9 कुल रकबा 2.76 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:51 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान को दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को

दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 12.10.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 913, 921, 1571, 1572, 1660, 1700, 1701, 1706, 1708 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
22/11/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:51 IST
Reason: SelfAttested